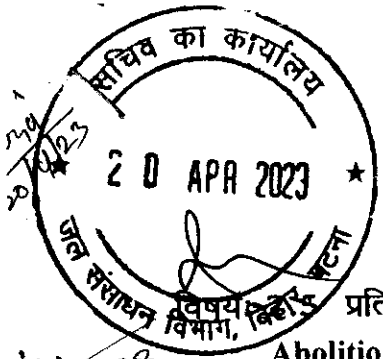


बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प



प्रतिशत बिहार जमींदारी उन्मूलन क्षतिपूरक बंध-पत्र (2.5% Bihar Zamindari Abolition Compensation Bonds) को भारतीय रिजर्व बैंक से वित्त विभाग, बिहार सरकार को हस्तगत करने एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को इसके प्रबंधन हेतु नोडल विभाग एवं सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन को इसका नोडल कोषागार बनाये जाने के संबंध में ।

वर्ष 1972 से 1974 के बीच 40 वर्षीय बिहार जमींदारी उन्मूलन क्षतिपूरक बंध-पत्र जारी किया गया था । यह बंध-पत्र 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, एवं 10000 रुपये, मूल्यवर्ग (Denomination) के हैं । इस बंध-पत्र पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय है । 15 नवम्बर 2000 से देय बंध-पत्र पर बिहार एवं झारखण्ड का दायित्व क्रमशः 74.71 प्रतिशत तथा 25.29 प्रतिशत निर्धारित किया गया है ।

2. वर्तमान में 2.5 प्रतिशत बिहार जमींदारी उन्मूलन क्षतिपूरक बंध-पत्र का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है । बिहार जमींदारी उन्मूलन क्षतिपूरक बंध-पत्र के कुल 4,63,152 Scrips उपलब्ध है, जिनपर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वार्षिक 10 रुपये प्रति Scrips की दर से प्रबंधन शुल्क लिया जाता है । इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष प्रबंधन शुल्क के रूप में करीब 46 लाख रुपये का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक को किया जाता है । 40 वर्ष से अधिक पुराने हो चुके इन बंध-पत्रों के विरुद्ध वर्तमान में नगन्य दावें (Claim) प्राप्त हो रहे हैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 में एक भी दावा का समायोजन (Settlement) नहीं हुआ है । ऐसी स्थिति में इन बंध-पत्रों के बिहार सरकार को हस्तगत किये जाने से उक्त प्रबंधन शुल्क के राशि का भुगतान नहीं किया जाना होगा ।

3. बिहार जमींदारी उन्मूलन क्षतिपूरक बंध-पत्र के सापेक्ष बकाया अधिशेष राशि 25,35,12,961/- (पच्चीस करोड़ पैंतीस लाख बारह हजार नौ सौ इकसठ मात्र) (बिहार एवं झारखण्ड सहित) को भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेख से दिनांक 02.03.2023 को बट्टे खातें (Write off) कर दिया गया है ।

सचिव

जल संसाधन विभाग

गै.सं.सं.सं. 2790
दिनांक 20/04/23

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना
गै.सं.सं.सं. 1199
दिनांक 21.04.23

डायरी सं. 20/8

दिनांक 24.04.23

मु. अभि. यो. एवं मोनिटरिंग
जल संसाधन विभाग, पटना

4. उक्त के अलोक में 2.5 प्रतिशत बिहार जमींदारी उन्मूलन क्षतिपूरक व (2.5% Bihar Zamindari Abolition Compensation Bonds- BZAC) को भारतीय रिजर्व बैंक वित्त विभाग, बिहार सरकार को हस्तगत करने एवं वित्त विभाग बिहार सरकार को इसके प्रबंधन हेतु नोडल विभाग एवं सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन को इसका नोडल कोषागार बनाया जाता है ।

5. बिहार जमींदारी उन्मूलन क्षतिपूरक बंध-पत्र के उपलब्ध Scrips को भारतीय रिजर्व बैंक से वित्त विभाग, बिहार सरकार को हस्तगत किये जाने के उपरांत वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा इसके संचालन के लिए प्रबंधन तंत्र विवसित किया जाएगा, जिसके क्रियान्वयन हेतु वित्त विभाग को इसका नोडल विभाग एवं सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन को इसका नोडल कोषागार बनाया जाता है । बंध-पत्र के दावों से संबंधित आवेदन वित्त विभाग, बिहार सरकार को समर्पित किये जायेंगे । वित्त विभाग द्वारा इन दावों की जांच (Scrutiny) की जाएगी । जांचोपरांत भुगतान हेतु योग्य पाये जाने पर वित्त विभाग के स्तर से इन दावों के विरुद्ध नियमानुकूल भुगतान की कार्रवाई करते हुए कोषागार के माध्यम से धारक को सीधे उनके बैंक खातों में बकाये शेष की राशि का हस्तांतरण किया जाएगा ।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(एस० सिद्धार्थ)

अपर मुख्य सचिव ।

ज्ञापांक:- अ०पा०- 56/2010...477 /वि०

पटना, दिनांक- 19.04.2023

प्रतिलिपि:- महमहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(एस० सिद्धार्थ)

अपर मुख्य सचिव ।

ज्ञापांक:- अ०पा०- 56/2010...477 /वि०

पटना, दिनांक- 19.04.2023

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(एस० सिद्धार्थ)

अपर मुख्य सचिव ।

ज्ञापांक:- अ०पा०- 56/2010...477 /वि०

पटना, दिनांक- 19.04.2023

प्रतिलिपि:- सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, दक्षिणी गाँधी मैदान, बिहार, पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(एस० सिद्धार्थ)

अपर मुख्य सचिव ।

ज्ञापांक:- अ०पा०- 56/2010...477 /वि०

पटना, दिनांक- 19.04.2023

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची (S681) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

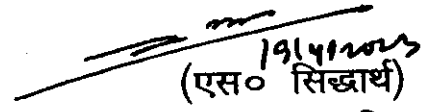
(एस० सिद्धार्थ)

अपर मुख्य सचिव ।

ज्ञापांक:- अ०पा०- 56/2010...477 /वि०

पटना, दिनांक- 19.04.2023

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव /सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(एस० सिद्धार्थ)

अपर मुख्य सचिव ।